रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत सरकार मुद्रणालय ....
दिनांक ....R-11605.... को प्राप्त
प्रभारी

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 12, 2004/आश्विन 20, 1926
No. 444] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 12, 2004/ASVINA 20, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2004

(आयकर)

सा.का.नि. 667(अ).—जबकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा मलेशिया सरकार के मध्य अनुबद्ध करार उक्त करार के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत उक्त करार को प्रवृत्त करने के लिए उनके संबंधित कानूनों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा एक दूसरे को अधिसूचित करने के उपरान्त 14 अगस्त, 2003 को प्रवृत्त हो गया है :

अब, इसलिए, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त करार के सभी प्रावधानों को भारत संघ में प्रवृत्त किया जाएगा।

अनुबन्ध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए
मलेशिया की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच करार

मलेशिया की सरकार

और

भारत गणराज्य की सरकार

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए एक करार निष्पन्न करने की इच्छा से और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से,

निम्नानुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद—1

वैयक्तिक कार्यक्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

अनुच्छेद - 2
करार के अंतर्गत आने वाले कर

1. यह करार किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा आय पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा, चाहे वे किसी भी तरह से लगाए जाएं ।

2. जिन करों पर यह करार लागू होगा वे निम्नलिखित के अनुसार हैं :

(क) मलेशिया में : -
(i) आयकर ; और
(ii) पेट्रोलियम आयकर ;

(जिन्हें इसके बाद "मलेशियाई कर" कहा जाएगा);

(ख) भारत में,
आयकर पर अधिभार सहित आयकर ;

(जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा) ।

3. यह करार किसी मिलते-जुलते अथवा पर्याप्त रूप से एक समान उन करों पर भी लागू होगा जो वर्तमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर करार पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद लगाए जाएंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी किन्हीं ऐसे महत्वूपर्ण परिवर्तनों के बारे में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो परिवर्तन उनके अपने -अपने कराधान कानूनों के अंतर्गत किए जाएंगे ।

अनुच्छेद -3
सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "मलेशिया" पद का अर्थ है - मलेशिया संघ के राज्य क्षेत्र, मलेशिया के राज्यक्षेत्रीय समुद्र और राज्यक्षेत्रीय समुद्र का समुद्र तल और अवमृदा और इसमें मलेशिया के राज्यक्षेत्रीय समुद्र की सीमा से बाहर फैला हुआ कोई भी क्षेत्र तथा ऐसे किसी क्षेत्र का समुद्र तल और अवमदा , जिसे मलेशिया के कानून के अंतर्गत और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी ऐसे क्षेत्र के रूप में नामोदिष्ट किया गया है या बाद में नामोदिष्ट किया जा सकता है जिस पर प्राकतिक संसाधनों, चाहे जीवित अथवा अजीवित, के पूर्वेक्षण और दोहन के प्रयोजनार्थ मलेशिया के प्रभुसत्तासम्पन्न अधिकार हैं ;

(ख) "भारत" का अभिप्राय है - भारत का राज्यक्षेत्र तथा उसमें इसके राज्यक्षेत्रीय समुद्र तथा उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र और कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल हैं जिनमें भारतीय कानून के अनुसार और अन्तरराष्ट्रीय कानून तथा समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं ;

(ग) "एक संविदाकारी राज्य" तथा "दूसरा संविदाकारी राज्य" का अर्थ संदर्भ की अपेक्षानुसार मलेशिया अथवा भारत है ;

(घ) "कम्पनी" पद से कोई निगमित निकाय अथवा कोई ऐसी सत्ता अभिप्रेत है जिसे अपने-अपने संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अंतर्गत किसी कम्पनी अथवा निगमित निकाय के रूप में माना जाता है ;

(ङ) "सक्षम प्राधिकारी" पद का अभिप्राय है :-

(i) मलेशिया के मामले में, वित्त मंत्री अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि ; और

(ii) भारत के मामले में, केन्द्र सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

(च) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;

अनुच्छेद - 4
निवासी

1. इस करार के प्रयोजनार्थ "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत है - कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर उस राज्य के कर कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबन्ध स्थान, अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण कर लगता हो ।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यष्टि दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

(क) उसे उस राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों ही संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;

(ख) यदि उस राज्य का जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित केन्द्रित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसको दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो .

(ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है ;

(घ) यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है तो संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का समाधान करेंगे।

3. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबन्ध स्थान स्थित है। यदि उस राज्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता हो जिसमें उसका प्रभावी प्रबंध स्थान स्थित है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से इस प्रश्न का समाधान करेंगे ।

(छ) "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो सिवाए उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान, उक्त संविदाकारी राज्य के बीच ही चलाए जाते हों ;

(ज) "राष्ट्रिक" पद का अर्थ है :

(i) किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता अथवा नागरिकता धारण करने वाला कोई व्यष्टि ;

(ii) कोई विधिक व्यक्ति, भागीदारिता, संस्था, कोई अन्य सत्ता जिसे इस प्रकार की अपनी हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो ;

(झ) "व्यक्ति" पद में कोई व्यष्टि, कोई कम्पनी अथवा व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय शामिल है ;

(ञ) "कर" पद का अर्थ है, संदर्भ की अपेक्षानुसार, मलेशियाई कर अथवा भारतीय कर किन्तु इसमें उन करों के संबंध में किसी भूल या चूक के बारे में अदा की जाने वाली कोई ऐसी राशि शामिल नहीं है जिन पर यह करार लागू होता है अथवा जो उन करों के संबंध में अधिरोपित किसी अर्थदण्ड अथवा जुर्माने की द्योतक हो ।

2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार को लागू किए जाने में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसमें अपरिभाषित किसी शब्द का वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिन पर यह करार लागू होता है ।

अनुच्छेद - 5
स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए "स्थायी संस्थापन" पद का आशय कारोबार के उस निश्चित स्थान से है जहां से उद्यम का कारोबार पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है ।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) प्रबंध व्यवस्था का कोई स्थान ;

(ख) कोई शाखा ;

(ग) कोई कार्यालय ;

(घ) कोई कारखाना ;

(ङ) कोई कार्यशाला ;

(च) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआँ, खदान अथवा इमारती लकड़ी अथवा अन्य वानिकी उत्पाद सहित प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;

(छ) कोई फार्म अथवा बाग ;

(ज) कोई विक्रय बाजार ;

(झ) कोई माल गोदाम ;

(ञ) कोई भवन स्थल अथवा संरचना प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन परियोजना जो नौ महीने से अधिक अवधि तक अस्तित्व में रहे ।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा :-

(क) उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना ;

(ख) मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ उक्त उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना ;

(ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव करना ;

(घ) उक्त उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने के लिए अथवा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;

(ङ) उद्यम के लिए केवल प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के किसी अन्य कार्यकलाप को चलाने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;

(च) उप-पैराग्राफ (क) से (ङ) तक में उल्लिखित केवल किन्हीं कार्य-कलापों के संयोजन के लिए व्यवसाय के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक स्वरूप का हो ।

4. किसी संविदाकारी राज्य का दूसरे संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन होना माना जाएगा यदि वह किसी संरचना, प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन परियोजना के संबंध में उस दूसरे राज्य में नौ महीने से अधिक अवधि तक ऐसा कोई पर्यवेक्षकीय कार्यकलाप चलाता हो जिसे उस राज्य में चलाने के लिए जिम्मेदारी ली जा रही है ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा किसी अन्य एजेंट, जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति अन्य संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से एक संविदाकारी राज्य में कार्य करता है तो उक्त उद्यम का प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थायी संस्थापन का होना माना जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति को आदतन :-

(क) उस उद्यम के नाम से प्रथमोल्लिखित राज्य में संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आदतन उस प्राधिकारण का प्रयोग करता हो, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियां उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं की खरीद तक ही सीमित न हों ; अथवा

(ख) उसे ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं हो किन्तु वह आदतन प्रथमोल्लिखित राज्य में उक्त उद्यम से संबंधित ऐसे माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उद्यम की ओर से नियमित रूप से आर्डरों की पूर्ति करता हो ; अथवा

(ग) वह उस उद्यम के लिए प्रथमोल्लिखित राज्य में उस उद्यम से संबंधित ऐसे माल अथवा पण्य-वस्तुओं का विनिर्माण अथवा संसाधन करता हो ।

6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी किसी संविदाकारी राज्य के किसी बीमा उद्यम का पुनर्बीमा के मामले छोड़कर, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन होना माना जएगा, यदि वह दूसरे राज्य के राज्य-क्षेत्र में प्रीमियम एकत्र करता है अथवा किसी ऐसे स्वतंत्र हैसियत वाले अभिकर्ता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, वहां स्थित जोखिमों का बीमा करता है ।

7. किसी संविदाकारी राज्य में किसी उद्यम का मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा, कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, जहां ऐसे व्यक्ति उनके कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों ।

तथापि, जब किसी ऐसे एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा प्रायः पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते हों तो ऐसा व्यक्ति एक स्वतंत्र हैसियत वाला एजेंट नहीं समझा जाएगा यदि उक्त एजेंट और उद्यम के बीच समव्यवहार कुछ दूरी की स्थितियों के तहत नहीं किए गए हों ।

8. यह तथ्य कि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों कम्पनियों में से किसी भी कम्पनी को दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ।

अनुच्छेद - 6
अचल सम्पत्ति से आय

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति (कृषि अथवा वानिकी से प्राप्त आय सहित) से प्राप्त आय पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

2. "अचल सम्पत्ति" पद उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार परिभाषित किया जाएगा जिसमें विचाराधीन सम्पत्ति स्थित है । इस पद में, किसी भी हालत में, ये शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, तेल अथवा गैस का कुआं, खदान और इमारती लकड़ी अथवा अन्य वानिकी-उत्पाद सहित प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण के लिए अथवा दोहन के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार, जलयान , नौकाएं और वायुयान अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं माने जाएंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के उपयोग से उद्भूत होने वाली आय पर भी लागू होंगे ।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 7
कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो । यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके उतने लाभों पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन के कारण हुए माने जाएंगे ।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो तो ऐसी स्थिति में वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभ को उस स्थायी संस्थापन का लाभ समझा जाएगा, जिनके होने की तब अपेक्षा रहती जब वह एक समान या उससे मिलती -जुलती परिस्थितियों में एक समान या उससे मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है ।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभाशों के निर्धारण में उस राज्य के कर कानूनों के उपबंधों के अनुसार और उनके प्रतिबंधों की शर्तों के अधीन उस व्यय की कटौती की अनुमति दी जाएगी जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ किया जाता है, जिनमें इस प्रकार खर्च किए गए कार्यकारी और

सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल होंगे, चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहां स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों ।

4. कोई लाभ , केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी हैं ।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लाभों को वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठीक तथा पर्याप्त कारण नहीं हों ।

6. जहां लाभों में आय की ऐसी मदें शामिल होती हैं जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 8
जहाजरानी और वायु परिवहन

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में उस उद्यम द्वारा जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त लाभों पर उस राज्य में ही कर लगाया जाएगा ।

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों या वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त लाभों का अभिप्राय पैराग्राफ 1 में वर्णित किसी उद्यम द्वारा प्राप्त लाभ होंगे जो जलयानों अथवा वायुयानों के मालिकों अथवा पट्टाधारकों अथवा अवक्रेताओं द्वारा वाहित यात्रियों, डाक, पशुधन अथवा माल का क्रमशः समुद्री मार्ग अथवा वायु मार्ग द्वारा परिवहन से प्राप्त होंगे, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

(क) अन्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री ; और

(ख) ऐसे परिवहन से सीधे तौर पर संबंधित किसी कार्यकलाप से अनुषंगी जलयानों अथवा वायुयानों का किराया ।

3. पैराग्राफ 1 में वर्णित एक संविदाकारी राज्य को किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन के संबंध में प्रयुक्त आधानों (आधानों के परिवहन हेतु ट्रेलरों, नौकाओं और अन्य संबंधित उपकरण सहित) के प्रयोग, रख-रखाव अथवा किराए से प्राप्त लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा ।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध किसी पूल, संयुक्त व्यवसाय अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन अभिकरण में भागीदारिता से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे ।

5. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से संबंधित निधियों पर ब्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त लाभों के रूप में माना जाएगा और अनुच्छेद 11 के उपबंध ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे ।

6. पैराग्राफ 1 में वर्णित एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा प्राप्त ऐसे अभिलाभ जो उक्त उद्यम द्वारा अपने स्वामित्व में रखे जाने वाले अथवा प्रचालित किए जाने वाले जलयानों, वायुयानों अथवा आधानों के अंतरण से प्राप्त होते हैं, जिनसे प्राप्त आय केवल उसी राज्य में कराधेय होती है, उस पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 9
सहयोगी उद्यम

1. जहां

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है ; अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं ;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तद्नुसार कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद 10
लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे ।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर लाभांशों की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

यह पैराग्राफ, उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिन लाभों में से लाभांश अदा किए जाते हैं ।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांशों" शब्द का अभिप्राय शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय , जो ऋण के दावे न हों, लाभों में हिस्सेदारी से प्राप्त आय तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय है जिस पर वही कराधान अभिक्रिया लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के द्वारा शेयरों से प्राप्त आय पर लागू होती है जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है ।

3071 GI 04—2

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे ।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, ऐसी स्थिति में वह दूसरा राज्य ऐसे मामलों को छोड़कर उक्त कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर वहां तक किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, जहां तक कि ऐसे लाभांश दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाते हैं, अथवा जहां तक जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती हो, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या उस दूसरे राज्य में किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है और न ही उक्त कम्पनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभ संबंधी कर लगाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों ।

अनुच्छेद - 11
ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य मेंउत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. किन्तु, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. पैराग्राफ (2) के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज को उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते कि वह निम्नलिखित के द्वारा प्राप्त किया जाता है और हितभागी रूप से अपने स्वामित्व में रखा जाता है :-

(क) मलेशिया के मामले में :

(i) मलेशिया की सरकार ;

(ii) उक्त राज्य की सरकार ;

(iii) दि बैंक नेगारा मलेशिया ;

(iv) स्थानीय प्राधिकरण ;

(v) सांविधिक निकाय ; और

(vi) दि एक्सपोर्ट - इम्पोर्ट बैंक आफ मलेशिया बरहाद (एक्जिम बैंक);

(ख) भारत के मामले में :-

(i) सरकार ;

(ii) राजनैतिक उप-प्रभाग ;

(iii) सांविधिक निकाय ;

(iv) स्थानीय प्राधिकरण ;

(v) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ;

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक ;

(vii) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ;

(viii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ;

(ix) राष्ट्रीय आवास बैंक ;

(x) भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक ;

(xi) भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आईसीआईसीआई) ;

(ग) कोई अन्य संस्थाएं जिन पर संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच समय -समय पर सहमति हो जाए ।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "ब्याज" शब्द का आशय प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय से है चाहे वह बंधक द्वारा प्रतिभूत हो अथवा नहीं और चाहे उसे ऋणदाता के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं और खास तौर पर सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों से प्राप्त आय है जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों के संबंध में प्रदान किए जाने वाले प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हैं । विलम्बित अदायगी के लिए अर्थदंड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ब्याज नहीं समझा जाएगा ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज अर्जित

हुआ हो, स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से वहां स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस ऋणदावे के बारे में ब्याज अदा किया जाता है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है। इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे

6. किसी संविदाकारी राज्य में ब्याज तब उत्पन्न हुआ माना जाएगा जब ब्याज अदा करने वाला वह राज्य स्वयं अथवा उस राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई सांविधिक निकाय अथवा कोई निवासी हो । किन्तु जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह एक संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था जिस पर ब्याज की अदायगी की गई है और इस प्रकार का ब्याज उस स्थायीं संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है तब वह ब्याज उस राज्य में उत्पन्न हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7 जहां, ब्याज अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम, उस रकम ऋणदावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध अंतिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे । ऐसे मामले में अदायगी के अधिक्य भाग पर इस करार के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 12
रायल्टियां

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियों पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों, और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा लेकिन यदि प्राप्तकर्ता रायल्टियों का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों की सकल रकम के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियां" शब्द का अभिप्राय है - सिनेमा फिल्में अथवा दूरदर्शन या आकाशवाणी से प्रसारण के संबंध में प्रयोग के लिए पुनर्निर्माण के किसी माध्यम पर रिकार्डिंग सहित किसी साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृति के किसी कापीराइट किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान जानकारी, कम्प्यूटर साफ्टवेयर प्रोग्राम, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया अथवा किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगियां ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियां उद्‌भूत होती हैं, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियां अदा की जाती हैं, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में यथा-स्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध लागू होंगे ।

5. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियां तब उद्‌भूत हुई मानी जाएंगी, जब अदाकर्ता स्वयं वह राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण या सांविधिक निकाय अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो । तथापि, जहां रायल्टियां अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं , उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायल्टियां अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो और ऐसी रायल्टियां उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हों, तब ऐसी रायल्टियां उस राज्य में उद्‌भूत हुई मानी जाएंगी, जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

6. जहां अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण किसी प्रयोग, अधिकार अथवा सूचना के संबंध में प्रदत्त रायल्टियों की रकम उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर इस प्रकार के संबंधों की अनुपस्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी द्वारा सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में , अदायगियों का अधिक्य भाग इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कराधेय होगा ।

अनुच्छेद - 13
तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1 एक संविदाकारी राज्य में उद्‌भूत होने वाली तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की जाती है, उस दूसर राज्य में कराधेय होगी ।

2. तथापि, इस प्रकार की तकनीकी सेवाओं की फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्‌भूत हुई हों, और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा । किन्तु यदि प्राप्तकर्ता तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" का अर्थ तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों द्वारा सेवाओं के उपबंध सहित किसी प्रबन्धकीय, तकनीकी अथवा परामर्शी सेवाओं को करने के प्रतिफल में किसी भी प्रकार की अदायगियां हैं किन्तु इसमें इस करार के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 में वर्णित सेवाओं के लिए अदायगियां सम्मिलित नहीं हैं ।

4. पैराग्राफ 1 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि तकनीकी सेवाओं की फीस का हितभागी स्वामी , जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्‌भूत होती है, वहां पर स्थित किसी स्थायी सस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 और 14 के उपबंध, यथास्थिति, लागू होंगे ।

5. एक संविदाकारी राज्य में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्‌भूत हुई मानी जाएगी, जब अदाकर्ता स्वयं वह राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण या सांविधिक निकाय अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो । तथापि, जहां तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का , चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो , जिसके संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो और ऐसी तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्‌भूत मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

6. जहां अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण किसी भी वजह से अदा की गई तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की राशि उस राशि से बढ़ जाती है, जिस पर इस प्रकार के संबंधों के अनुपस्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी द्वारा सहमति हो गई होती वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में , अदागियों का आधिक्य भाग इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कराधेय होगा ।

अनुच्छेद - 14
स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा इसी प्रकार के अन्य स्वतंत्र कार्यकलापों से प्राप्त आय केवल उस राज्य में ही कराधेय होगी । तथापि, निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है ।

(क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ, दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्‌भूत हुई मानी जा सकती है ; अथवा

(ख) यदि दूसरे राज्य में उसके ठहरने की अवधि या अवधियां संबंधित वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ होने वाली या समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिन अथवा उससे अधिक दिन के लिए हों , तो उस मामले में उस दूसरे राज्य में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो दूसरे राज्य में उसको अपने निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त होती है ; अथवा

(ग) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसकी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक या तो उस राज्य के किसी ऐसे निवासी से प्राप्त किया जाता है अथवा किसी ऐसे स्थायी संस्थापन या निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है जो उस राज्य में अनिवासी किसी व्यक्ति द्वारा उस राज्य में रखा जाता है और जो दोनों में से किसी भी मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष में दो हजार अमेरिकी डालरों के बराबर की राशि के मूल्य से अधिक हो जाती है ।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में विशेषतया स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक या शिक्षण संबंधी कार्यकलाप तथा काय-चिकित्सकों, शल्य-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तु-विदों, दन्त-चिकित्सकों और लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप सम्मिलित हैं ।

अनुच्छेद - 15
परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 17, 19 और 20 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है । यदि ऐसा नियोजन किया गया है तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

2 पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा , यदि :

(क) प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में आरम्भ होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर अधिक से अधिक 183 दिन अथवा उसके बराबर की अवधि या अवधियों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में उपस्थित रहता है ; और

(ख) पारिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया जाता है जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं है ; और

(ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे निवासी अथवा स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक दूसरे राज्य में रखता हो अथवा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा वहन नहीं किया जाता है जो दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता हो ।

3 इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में संचालित जलयान अथवा वायुयान पर किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद - 16

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अन्य अदायगियों पर जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हो, दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

अनुच्छेद - 17

मनोरंजनकर्ता और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के उसके वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए निजी कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7 , 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किए जाते हैं ।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य में निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त पारिश्रमिक अथवा लाभों पर उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि उस राज्य की यात्रा के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य, उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग या स्थानीय प्राधिकरण अथवा सांविधिक निकाय की लोक निधियों द्वारा प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः, पूर्णतया अथवा पर्याप्त रूप से सहायता की जाती हो।

अनुच्छेद - 18

गैर- सरकारी पेंशन और वार्षिकियां

1. अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी संविदाकारी राज्य में पिछले नियोजन के लिए प्राप्त किसी पेंशन और अन्य इसी तरह के पारिश्रमिक पर अथवा उसमें उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की जाने वाली वार्षिकी पर केवल दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

2. "वार्षिकी" पद से जीवन काल में अथवा किसी विनिर्दिष्ट या अधिनिश्चित समयावधि के दौरान धनराशि अथवा उसके बराबर मूल्य में पर्याप्त तथा पूर्ण प्रतिफल के बदले में अदायगी करने की प्रतिबद्धता के अंतर्गत आवधिक रूप में निश्चित समय पर अदायगी योग्य एक निश्चित राशि अभिप्रेत है ।

अनुच्छेद - 19
सरकारी सेवा

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उपप्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा सांविधिक निकाय द्वारा किसी व्यष्टि को उस राज्य अथवा उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा सांविधिक निकाय के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई पेंशन से भिन्न पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा ।

(ख) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में की जाती हैं और व्यष्टि उस राज्य का निवासी है, जो :

(i) उस राज्य का एक राष्ट्रिक है ; अथवा

(ii) मात्र सेवाएं करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो ।

2. किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा सांविधिक निकाय द्वारा सृजित कोष द्वारा अथवा उनमें से किसी व्यष्टि को उस राज्य अथवा उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा सांविधिक निकाय के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई पेंशन पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा ।

3. अनुच्छेद 15, 16, और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा सांविधिक निकाय द्वारा किए जा रहे किसी व्यापार अथवा कारबार के सिलसिले में की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 20

विद्यार्थी और प्रशिक्षार्थी

1. कोई व्यष्टि जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पहले एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा निवासी था और जो दूसरे राज्य में निम्नलिखित के रूप में मात्र अस्थायी तौर पर उपस्थित है :

(क) उक्त दूसरे राज्य में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अथवा अन्य इसी तरह की मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था में एक विद्यार्थी के रूप में ;

(ख) एक व्यावसायिक अथवा तकनीकी प्रशिक्षु के रूप में ; अथवा

(ग) दोनों राज्यों में से किसी एक की सरकार से अथवा किसी वैज्ञानिक, शैक्षिक, धार्मिक अथवा धर्मार्थ संगठन से अथवा दोनों राज्यों में से किसी की सरकार द्वारा लागू किए गए तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन, अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण के मुख्य प्रयोजन के लिए अनुदान, भत्ता अथवा पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में ;

उसे निम्नलिखित पर दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी -

(i) उसके भरण -पोषण, शिक्षा, अध्ययन, अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ भेजी गई समस्त धनराशियां ;

(ii) ऐसे अनुदान, भत्ते या पुरस्कार की राशि ; और

(iii) उस दूसरे राज्य में की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त कोई पारिश्रमिक जो दो हजार अमरीकी डालर प्रतिवर्ष की राशि के बराबर से अधिक न हो, बशर्ते कि सेवाएं उसके अध्ययन, अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण के लिए निष्पादित की जाती हैं अथवा उसके भरण-पोषण के लिए आवश्यक हैं ।

2. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी समयावधि के लिए लागू होंगे जो कि शुरू किए गए शिक्षण अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हो । तथापि, किसी भी हालत में, किसी भी व्यष्टि को इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (iii) के लाभ दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके प्रथमतः पहुंचने की तारीख से लगातार सात वर्षों से अधिक के लिए प्राप्त नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 21

अध्यापक और शोध-अध्येता

1. कोई ऐसा व्यष्टि जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पहले किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा निवासी था और जो किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य इसी प्रकार की शैक्षिक संस्था के नियंत्रण पर ऐसी शैक्षिक संस्था में मात्र अध्यापन अथवा शोध-कार्य अथवा दोनों के प्रयोजनार्थ दो वर्ष की अनधिक अवधि के लिए दूसरे राज्य का दौरा करता है तो ऐसे अध्यापन अथवा शोध-कार्य के लिए उसे प्राप्त किसी पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी जिस पर प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाता है ।

2. यह अनुच्छेद शोध-कार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोध-कार्य मुख्यतया किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता है ।

3. इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 20 के प्रयोजनार्थ किसी व्यष्टि को एक संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा यदि वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से पहले तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उस संविदाकारी राज्य में एक निवासी है ।

अनुच्छेद - 22

अन्य आय

एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जिनका इस करार के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में स्पष्टतया उल्लेख नहीं किया गया है, केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगी सिवाय उन मामलों के जहां ऐसी आय दूसरे संविदाकारी राज्य के स्रोतों से प्राप्त होती है वहां इस पर दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है ।

अनुच्छेद - 23

दोहरे कराधान का अपाकरण

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में प्रवृत्त कानून संबंधित राज्यों में आय पर कराधान मामलों को अधिशासित करते रहेंगे सिवाय उन मामलों में जहां इस करार में उनके विपरीत प्रावधान किए जाएं ।

2. मलेशिया के मामले में दोहरे कराधान का निम्न प्रकार से अपाकरण किया जाएगा :-

मलेशिया को छोडकर किसी भी देश में देय कर के मलेशिया कर के प्रति क्रेडिट के रूप में छूट के संबंध में मलेशिया के कानूनों के अध्यधीन भारत में प्राप्त की गई आय के संबंध में मलेशिया के किसी निवासी द्वारा भारत के कराधान कानूनों के अंतर्गत भारत में अदा किए गए कर को उस आय के संबंध में मलेशिया में देय कर के प्रति क्रेडिट के रूप में अनुमति दी जाएगी । जहां ऐसी आय भारत की निवासी किसी कम्पनी द्वारा मलेशिया की निवासी किसी कम्पनी को अदा किया गया कोई लाभांश है और जो लाभांश अदा करने वाली कम्पनी के कम से कम 10 प्रतिशत वोटिंग शेयर का मालिक हो वहां उसकी उस आय के संबध में उस कम्पनी द्वारा भारत में अदा किए गए कर को क्रेडिट ध्यान में रखेगा जिसमें से उक्त लाभांश अदा किया जाता है । तथापि, उक्त क्रेडिट मलेशियाई कर के उस भाग से अधिक नहीं होगा (जो क्रेडिट दिए जाने के पहले संगणित किया जाता है) जो आय की ऐसी मद से उद्भूत होता है ।

3. पैराग्राफ 2 के प्रयोजनार्थ "भारत में अदा किया गया कर" पद में वह कर शामिल हुआ माना जाएगा जो भारत के कानूनों के अंतर्गत और इस करार के अनुसार भारत में स्रोतों से प्राप्त किसी आय पर देय होता यदि उस आय पर इस करार के उपबंधों के अनुसार और भारत के आर्थिक विकास को बढावा देने के लिए भारतीय कानूनों के अंतर्गत विशेष प्रोत्साहनों, जो इस करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख को लागू हो, अथवा किन्हीं ऐसे उपबंधों के अनुसार, जिन्हें उक्त कानूनों के संशोधन में अथवा उनके अतिरिक्त, भारत में बाद में लागू किया जा सकता है, भारतीय कर से कम दर पर कर नहीं लगाया जाता अथवा उससे छूट नहीं दी जाती । जहां तक कि उन पर संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा इस बात पर सहमति हो जाती है कि वे पर्याप्त रूप से एक जैसी प्रकृति के हैं ।

4. भारत के मामले मे, दोहरे कराधान का अपाकरण निम्न प्रकार से किया जाएगा :-

जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार मलेशिया में कर लगाया जा सकता है , भारत उस निवासी की आय पर मलेशिया में अदा किए गए कर की राशि के बराबर की राशि को कर से कटौती के रूप में अनुमति देगा चाहे यह कर प्रत्यक्षतः अथवा स्रोत पर कटौती द्वारा दिया गया हो । ऐसी राशि कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी (जो कटौती दिए जाने से पहले संगणित की जाती है) जो इस आय से उद्भूत होती है जिसपर मलेशिया में कर लगाया जा सकता है ।

5. **पैराग्राफ 4 के प्रयोजनार्थ 'मलेशिया में अदा किया गया कर ' पद में वह कर शामिल हुआ माना जाएगा जो मलेशिया के कानून के अंतर्गत और इस करार के अनुसार मलेशिया में स्रोतों से प्राप्त किसी आय पर देय होता यदि उस आय पर इस करार के उपबधों के अनुसार और मलेशिया के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मलेशियाई कानूनों के अंतर्गत विशेष प्रोत्साहनों, जो इस करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख को लागू थे अथवा किन्हीं ऐसे उपबंधों के अनुसार, जिन्हें उन कानूनों के संशोधनों में अथवा उनके अतिरिक्त , बाद में मलेशिया में लागू किया जा सकता है, मलेशियाई कर से कम दर पर कर नहीं लगाया जाता अथवा उससे छूट नहीं दी जाती जहां तक कि उनपर संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा इस बात पर सहमति हो जाती है कि वे पर्याप्त रूप से एक जैसी प्रकृति के हैं।**

अनुच्छेद - 24

समव्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान अथवा तत्संबंधी अपेक्षा को लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर वैसी ही परिस्थितियों में लगाए जा रहे अथवा लगाए जा सकने वाले कराधान एवं तत्संबधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकत अधिक भारपूर्ण हो ।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान नहीं लगाया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर उन्हीं परिस्थितियो में एक समान कार्यकलापों को करने हेतु लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो । इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को, कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कटौतियों की मंजूरी दे जो यह अपने निवासियों को देता हे । इसके अतिरिक्त इस उपबंघ का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के लाभों पर कर की ऐसी दर पर प्रभार लगाने से किसी संविदाकारी राज्य को रोकना है जो उस दर से अधिक हो जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के समरूप उद्यम के लाभों पर लगाया जाता है और न ही इसका अर्थ इस करार के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल होना माना जाएगा ।

3. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व में अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी कोई भी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से तथा तत्संबंधी किन्हीं भी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत भारपूर्ण हो, जो उस प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य समरूप उद्यमों पर लागू हो अथवा लागू हो सकती हो ।

4. इस अनुच्छेद में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य को उस राज्य में आर्थिक विकास को बढावा देने के लिए अपने राष्ट्रिकों तक कर प्रोत्साहनों को सीमित रखने से रोकना है ।

5. इस अनुच्छेद में "कराधान" पद का तात्पर्य वे कर हैं जिन पर यह करार लागू होता है।

अनुच्छेद - 25
पारस्परिक करार विधि

1. जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्रवाईयों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस करार के अनुसार नहीं है तो वह उन राज्यों के कराधान कानूनों में उपचारों की व्यवस्था होने के बावजूद भी उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो वह उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह राष्ट्रिक है । यह मामला उस कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना के तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामतः ऐसा कराधान लगाया गया है जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है ।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दष्टि से जो इस करार के अनुरूप नहीं हैं, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा चाहे संविदाकारी राज्यों के स्वदेशी कानूनों में कोई भी समय-सीमा क्यों न हो ।

3. यदि इस करार की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाईयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों केसक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान को दूर करने के लिए परस्पर विचार कर सकते हैं जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गई हो ।

4. पिछले पैराग्राफों के अभिप्राय से कोई समझौता करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं ।

अनुच्छेद - 26
सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित आंतरिक कानूनों को कार्यान्वित करने के लिए अथवा इस करार के अंतर्गत आने वाले करों के अपवंचन अथवा परिहार को रोकने के लिए अथवा उनका पता लगाने के लिए आवश्यक हो, इस प्रकार से आदान-प्रदान की गई सूचना को गुप्त माना जाएगा और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें कोई न्यायालय, प्रशासनिक निकाय अथवा पुनरीक्षा प्राधिकारी भी शामिल है) को प्रकट किया जाएगा जो उन करों का निर्धारण करने, उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने से संबद्ध हो जो इस करार की विषय-वस्तु हैं । ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजन के लिए ही करेंगे किन्तु वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्रवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे ।

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ;

(ख) ऐसे विवरणों की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं हैं ;

(ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापारिक , कारोबार संबंधी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक रहस्य अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो ।

अनुच्छेद - 27

राजनयिक और कौंसुली अधिकारी

इस करार की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक अथवा कौंसुली अधिकारियों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद - 28

प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी राज्य इस करार को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा किए जाने के बारे में एक-दूसरे को राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में अधिसूचित करेंगे ।

2. यह करार इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखत अधिसूचनाओं में से बाद में प्राप्त होने वाली अधिसूचना के तीस दिन बाद लागू होगा ।

3. इस करार के उपबंध निम्नानुसार प्रभावी होंगे :

(क) **मलेशिया में :**

(i) मलेशियाई कर के संबंध में, पेट्रोलियम आयकर को छोडकर, जिस वर्ष में यह करार लागू किया जाता है उसके अगले कैलेण्डर वर्ष में जनवरी के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाले किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य कर के लिए ;

(ii) पेट्रोलियम आय कर के संबंध में, जिस वर्ष में यह करार लागू किया जाता है उसके अगले द्वितीय कैलेण्डर वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाले किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य कर के लिए ;

(ख) **भारत में :**

जिस कैलेण्डर वर्ष में यह करार लागू किया जाता है उसके अगले अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में ।

4. आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए मलेशिया सरकार तथा भारत सरकार के बीच यह करार, जिस पर नई दिल्ली, भारत में 1976 के अक्तूबर के 25वें दिन हस्ताक्षर किए गए थे, तब निष्प्रभावी हो जाएगा जब इस करार के उपबंध पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अनुसार प्रभावी हो जाएंगे ।

अनुच्छेद - 29

समापन

यह करार अनिश्चित काल तक लागू रहेगा किन्तु दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस करार के लागू होने की तारीख से लेकर पांच वर्ष की अवधि पूरी हो जाने के बाद शुरू होने वाले किसी भी कैलेण्डर वर्ष में जून मास के तीसवें दिन को या उससे पहले दूसरे संविदाकारी राज्य को राजनयिक माध्यमों से इस करार के समापन का लिखित नोटिस दे सकता है और ऐसी स्थिति में यह करार निम्न के संबंध में प्रभावी नहीं होगा :

(क) **मलेशिया में :**

(i) मलेशियाई कर के संबंध में, पेट्रोलियम आयकर को छोड़कर, जिस वर्ष में नोटिस दिया जाता है उसके अगले कैलेण्डर वर्ष में जनवरी के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाले किसी भी निर्धारण वर्ष के प्रभार्य कर के लिए ;

(ii) पेट्रोलियम आय कर के संबंध में, जिस वर्ष में नोटिस दिया जाता है उसके अगले द्वितीय कैलेण्डर वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाले किसी भी निर्धारण वर्ष के प्रभार्य कर के लिए ;

(ख) **भारत में :**

जिस कैलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया जाता है उसके अगले अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

में वर्ष दो हजार एक के माह के दिन मलय, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । इस करार की व्याख्या करने और इसे लागू करने में किसी विवाद के होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा ।

मलेशिया की सरकार की ओर से	प्रमोद महाजन **भारत गणराज्य की सरकार की ओर से**

प्रोतोकोल

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए मलेशिया सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच इस करार पर हस्ताक्षर करते समय अधोहस्ताक्षरियों ने सहमति व्यक्त की है कि निम्नलिखित उपबंध इस करार के अभिन्न अंग होंगे ।

यह समझा जाता है :

1. करार के प्रयोजनार्थ "वित्तीय वर्ष" जहां कहीं भी यह प्रकट होता है उसका अर्थ निम्नलिखित होगा :

(i) मलेशिया के मामले में, आयकर अधिनियम, 1967 की धारा 20 द्वारा यथा-निर्धारित अर्थ ;

(ii) भारत के मामले में, "पिछला वर्ष" जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है ।

2. अनुच्छेद -3 के पैराग्राफ 1 (ञ) के संदर्भ में, कर में ऐसी कोई राशि शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी भूल या चूक के लिए किसी अर्थ-दण्ड अथवा जुर्माने के रूप में देय होती है जिस पर यह करार लागू होता है और जो उन करों के संबंध में लगाए गए किसी अन्य अर्थदण्ड अथवा जुर्माने की द्योतक है ।

3. अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 7 के संदर्भ में, "कुछ दूरी की शर्तों" का अर्थ वे शर्तें हैं जो दोनों उद्यमों के बीच उनकी वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में लगाई गई होतीं या अधिरोपित की गई होतीं और जो उन शर्तों से भिन्न नहीं होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होतीं अथवा अधिरोपित की गई होतीं ।

4. अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में, इस पैराग्राफ का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इससे निवासी देश को इस अनुच्छेद के अंतर्गत आय पर भी कर लगाने से रोकना है ।

5. अनुच्छेद 28 के उप-पैरा 3 (क) (i) और (ii) तथा अनुच्छेद 29 के उप-पैरा 3 (क) (i) और (ii) के संदर्भ में, "निर्धारण वर्ष" का अर्थ आयकर अधिनियम, 1967 की धारा 2 के अंतर्गत निर्धारित किया गया अर्थ है ।

में वर्ष दो हजार एक के माह के दिन मलय, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । इस करार की व्याख्या करने और इसे लागू करने में किसी विवाद के होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा ।

मलेशिया की सरकार की ओर से

प्रमोद महाजन

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

[अधिसूचना सं. 257/2004/फा. सं. 506/123/84-वि.क.प्र.]

पूनम दत्त, संयुक्त सचिव